रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section—3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 652] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार नवम्बर 27, 1997/अग्रहायण 6, 1919

No. 652] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 1997/AGRAHAYANA 6, 1919

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1997

का. आ. 802(अ) केन्द्रीय सरकार, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं का.आ. 832 (अ), तारीख 28 नवंबर, 1996 की अनुसूची ''ख'' का निम्नलिखित संशोधन करती है :—

पैरा 4 (2) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''निधि, संसद् या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अधीन सृजित कानूनी निकायों, संयुक्त राष्ट्र, संघ और इसके सहबद्ध निकायों, अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, भारत और बाहर दोनों में निजी और लोक निगमित सेक्टरों, अन्तरराष्ट्रीय पूर्त/परोपकारी संगठनों, अनिवासी भारतीयों,न्यासों, सोसाईटियों और व्यष्टिकों से भी अभिदाय स्वीकार कर सकेगा''।

पैरा 8 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''परिषद् की बैठकें :—परिषद् नीति से संबंधित सभी मामलों या विधि से संबंधित ऐसे मुद्दों का विनिश्चय करने के लिए, जिन पर समिति द्वारा इसके विनिश्चय की अपेक्षा की गई है, वर्ष में उतनी बार बैठकें करेगी, जितनी आवश्यक हो ।''

पैरा 19 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

''वित्तीय सहायता की पात्रता: भारत सरकार का कोई सहबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय, किसी राज्य सरकार का कला और संस्कृति की सेवाओं के क्षेत्र में सुज्ञात ऐसे स्वैच्छिक संगठन, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अंतिम दो वर्ष के लिए कम से कम लोक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। व्यष्टि इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के हकदार नहीं है''।

2. उपरोक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6-1/96-स्पे. सेल]

कस्तुरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

NOTIFICATION

New Delhi,the 27th November, 1997

S O 802(E).—In exercise of powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby amends Schedule 'B' of the Notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development, No. S. O. 832 (E) dated the 28th November, 1996, as under :

Para 4 (2) shall be read as :

The Fund may also accept contributions from statutory bodies created under the Acts of Parliament or of the State Legislatures, the United Nations and its associated bodies, other international organisations, private and public corporate sectors both in India and abroad, international charitable/philantropic organisations, Non Resident Indians, trusts, societies and individuals'.

Para 8 shall be read as:

'Meetings of the Council: The Council shall meet as many times in a year as necessary to decide all policy matters or on issues relating to the Fund on which its decisions are sought by the Committee'.

Para 19 shall be read as:

'Eligibility of financial assistance: Any attached or subordinate office of the Government of India, any State Government or voluntary organisation with a known record of service in the field of art and culture and registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or registered as Public Trust at least for the last two years will be eligible for applying for financial assistance from the fund for a specific project. Individuals are not entitled to financial assistance under this Scheme'.

2. Above amendments shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

[No. F. 6-1/96-Spl. Cell]

KASTURI GUPTA MENON, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997